चाइल्डलाइन श्योपुर डायल– 1098

संचालित– महात्मा गाधी सेवा आश्रम

- चाइल्डलाइन महिला एवं बाल विकास की एक परियोजना है जो कि 0 से 18 वर्ष तक के बेबस व बेसहारा बच्चो की मदद के लिये है। यह 24 घंटे चलने वाली मुफ्त आपतकालीन राष्ट्रीय फोन सेवा है।

- चाइल्डलाइन राज्य सरकारो, गैर–सरकारी संगठनो, शैक्षणिक संस्थानो, द्विपक्षीय व बहुपक्षीय एजेंन्सियो, के साथ मिलकर कार्य करती है।

- चाइल्डलाइन का इतिहास –

- चाइल्डलाइन की शुरू श्रीमति जेरू बिलिमोरिया ने जून 1996 मे मुम्बई मे की थी।

- प्रारम्भ मे यह एक फिल्ड एक्शन परियोजना के रूप मे मुम्बई मे चलाया गया। जिसमे बडी संख्या में बच्चो के फोन आये और यह प्रोजेक्ट सफल सबित हुआ।

- सन 2006 मे चाइल्डलाइन महिल एवं बाल विकास मंत्रालय मे शामिल हुई।

- *हमारा उददेश्य व दृष्टि कोण –*

  एक ऐसे अनुकुल राष्ट्र का निर्माण करना जो बच्चो के अधिकारो व संरक्षण की गारंटी देता है।

- *हम किस प्रकार से काम करते है –*

  - जब बच्चा/ संबंधित व्यस्क 1098 डायल करते है तो यह कॉल – मुम्बई पहुचता है।
  - मुम्बई से श्योपुर/ सम्बधित जिले मे चाइल्डलाइन सेंटर मे सूचना दी जाती है।
  - चाइल्डलाइन टीम 60 मिनट के भीतर बच्चे तक पहुचती है।
  - बच्चे की स्थिति के अनुसार सम्बधित विभाग से मिलकर उसकी मदद करना।

- श्योपुर जिले मे चाइल्डलाइन की शुरूआत –

चाइल्डलाइन सन 2014 से महात्मा गांधी सेवा आश्रम द्वारा संचालित है।

श्योपुर चाइल्डलाइन पर आने वाले केस–

सन 2014– 15 मे – 76 केस

सन 2015– 16 मे – 234 केस

सन 2016– 17 मे – 369 केस

सन 2017– 18 मे – 404 केस

Child line Sheopur Case Category Chart Year 2014-2018

Year	Medical help	Sponsor ship	Protection from abuse	Missing Child lost & found	Missing Parents Asking help	Did not found/ Did not intervention	Shelter	Unclassified Case	Total
2014-15	40	05	12	07	0	11	0	1	**76**
2015-16	128	62	26	07	04	05	01	01	**234**
.									
2016-17	75	214	35	15	03	05	21	01	**369**
.									
2017-18	146	153	22	22	1	8	52		**404**
Total Cases	**389**	**434**	**95**	**51**	**08**	**29**	**74**	**03**	**1083**

केसो की केटेगरी –

चाइल्डलाइन मे कई प्रकार के केस आते है जैसे –

- मिसिंग चाइल्ड –

  लापता स्थिति में मिले बच्चे या घर से पता हो गये बच्चें।

- प्रोटेक्सन फॉम अव्यूस –

  भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चे।

  बाल विवाह – कानून द्वारा विवाह के लिये निर्धारित की गई उम से कम उम मे विवाह करना।

  बालिकाओ के साथ अभद्र व्यवहार/ योन शोषण।

  बच्चो के साथ मारपीट करना।

- शैल्टर –

  अनाथ व बैसहारा बच्चो के लिये।

- मेडिकल –

  बीमार/ कुपोषित/ /एक्सीडेन्ट बच्चो के लिये।

- स्पोन्सरशिप –

  जरूरत मंद व विकलांग बच्चो को योजनाओ का लाभ दिलवाना।

  बच्चो को स्कूल मे भर्ती करवाना।

- चाइल्डलाइन टीम द्वारा किये गये कार्य –
    - चाइल्डलाइन टीम द्वारा लापता स्थिति मे मिले बच्चों को पुलिस विशेष किशोर पुलिस इकाई– बालकल्याण समिति की मदद से बच्चो के परिवार के बारे मे पता उसे सुरक्षित उनके परिवार तक पहुचाया गया है।
    - भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों को पुलिस विशेष किशोर पुलिस इकाई – बाल कल्याण समिति की मदद से उनके माता–पिता की काउन्सलिंग कर बच्चो को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराया है।
    - चाइल्डलाइन टीम द्वारा अनाथ / बैसहारा बच्चो को महिला सशक्तिकरण विभाग व बाल कल्याण समिति से साथ मिलकर उनको योजना का लाभ दिलवाया व छात्रावास मे रहने की व्यवस्था करवाई गयी।
    - चाइल्डलाइन टीम द्वारा एसें बच्चे जिनके माता–पिता उनको स्कूल नही भेजते थे उन माता–पिता की काउन्सलिंग कर बच्चो को स्कूल में भर्ती करवाया गया।
    - कई बच्चो के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण स्कूल के प्रबधंक की मदद से बच्चो की फीस माफ करवाई गयी।
    - चाइल्डलाइन टीम द्वारा स्कूल से निकाल दिये गये बच्चो को पुनः स्कूल मे भर्ती करवाया गया है।
    - चाइल्डलाइन टीम द्वारा कुपोषित बच्चे जिनके माता–पिता बच्चो को एन.आर.सी. मे भर्ती नही करवाते थे उन माता–पिता की काउन्सलिंग कर उन बच्चों को अस्पताल (एन.आर. सी.) मे भर्ती करवाया गया।
    - चाइल्डलाइन टीम द्वारा एसे बीमार व थेलिसीमिया की बिमारी से पीडित बच्चे जिनको रक्त की आवश्यता थी उनके लिये रक्त उपलब्ध करवाया गया।
    - चाइल्डलाइन टीम द्वारा पुलिस– महिला सशक्तिकरण विभाग के साथ मिलकर बाल विवाह रूकवाया है।
    - चाइल्डलाइन टीम द्वारा कई विकलांग बच्चो के विकलांग प्रमांण पत्र बनवाकर उनको जनकल्याणकारी योजना का लाभ दिलवाया गया।

- आउटरीच / फोनटेर्स्टींग–

  आउरीच के माध्यम से चाइल्डलाइन टीम सदस्य उस क्षेत्र मे बच्चो की समस्याओ के बारे मे पता करते है तथा लोगो को चाइल्डलाइन के बारे मे जानकारी देते है। इसके साथ ही क्षेत्र के समाजिक कार्यकताओ को बच्चो की मदद के लिये चाइल्डलाइन से जोडा जाता है।

  इस दौरान टीम सदस्यो द्वारा उसी स्थान से फोन टेस्टिंग (1098 नम्बर डायल कर चेक किया जाता है।) भी की जाती है।

- चाइल्डलाइन को सहयोग करने वाले सरकारी व गैर सरकारी विभाग –

  महिला सशक्तिकरण विभाग, पुलिस विभाग, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, नगरपालिका, मीडिया, गैर सरकारी संस्थाए, प्रत्येक व्यक्ति

- अवेयरनेस प्रोग्राम –

  - चाइल्डलाइन टीम द्वारा खेल–खेल, प्रदर्शिदनी, हस्ताक्षर अभियान, रेली, बाल फिल्म, पेन्टींग व सामान्यज्ञान प्रतियोगिताओ के माध्यम से भी जिले के सार्वजनिक स्थानो पर कई अवेयरनेस प्रोग्राम किये गये है। इस दौरान बच्चो व लोगो को चाइल्डलाइन 1098, उनके के अधिकारों उनकी सुरक्षा, बाल योन शोषण, अच्छे व बुरे स्पर्श, बाल विवाह, बच्चो के स्वास्थ्य, सरकारी योजनाओ, शिक्षा के अधिकार के बारे मे जागरूक किया गया है।

- ओपन हाउस प्रोग्राम –

  बच्चो की समस्याओ के बारे मे जानकारी प्राप्त करने के लिये जिले के गांव, आदिवासी बस्तियों, स्कूलो, छात्रावासो, धार्मिक स्थल व शहर के सार्वजनिक स्थानो पर कई ओपनहाउस प्रोग्राम किया जाता है। इस दौरान बच्चो से उनकी समस्याओ के बारे मे जानकारी ली जाती है।

चाइल्डलाइन टीम द्वारा किये गये प्रोग्राम के फोटो –

जिला कलेक्टर श्री अभिजीत अग्रवाल चाइल्डालाइन ऑफिस मे चाइल्डलाइन के बारे मे जानकारी लेते हुए एवं विवाह सम्मेलन के दौरान लापता मिले बच्चो को उनके परिवार तक पहुचाने मे सहयोग करते हुए।

बालश्रम को रोकने के लिये प्रदशर्नी व हस्ताक्षर अभियान मे शामिल होते नगरपालिका अध्यक्ष श्री दौलतराम गुप्ता जी

गांधीवादी विचार व वरिष्ठ समाजसेवी आदरणीय श्री सुब्बाराव जी चाइल्डलाइन के कार्यो व प्रदर्शनी के बारे मे जानकारी लेते हुए।

विभिन्न स्कूल के छात्र-छात्राओ को चाइल्डालइन के बारे मे जानकारी देते हुए-चाइल्डलाइन टीम

बच्चो को खेल के माध्यम से बाल योन शोषण व चाइल्डलाइन के बारे मे जानकारी दी गयी।

महिलाओ व आंगनवाडी कार्यकर्ताओ से उस क्षेत्र के बच्चो की समस्याओ के बारे मे जानकारी लेते हुए

आदिवासी बस्ती मे बच्चो व लोगो को चाइल्डलाइन से उनकी समस्याओ के बारे मे जानकारी लेने व गरीब बच्चो को वस्त्र वितरण करते हुए।